श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 13.08.2011 को आहूत आपूर्त्ति सम्बन्धी मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :– 1235

उपस्थिति :– यथा पंजी के अनुसार

(1) कूपन वितरण :– सभी प्रखंड एवं शहरी क्षेत्रो में राशन/किरासन कूपन वितरण का योजनावार प्रतिशत निम्नवत है :–

क0	प्रखंड/शहरी क्षेत्र का नाम	अन्त्योदय अन्न योजना	बी0पी0एल0/ ए0पी0एल0 किरासन तेल	बी0पी0एल0 लाल कार्डधारी (खाद्यान्न हेतु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	सदर, मुंगेर	98.90%	97.42%	99.22%	
2.	जमालपुर	96.45%	97%	97.61%	
3.	धरहरा	93.90%	90.17%	89.29%	
4.	बरियारपुर	98.27%	90.53%	89.68%	
5.	खड़गपुर	99%	97.54%	98.32%	
6.	टेटियाबम्बर	99.56%	98.25%	98.89%	
7.	असरगंज	98.15%	95.20%	98.42%	
8.	तारापुर	98.82%	98.89%	98.80%	
9.	संग्रामपुर	99%	98.52%	98.87%	
10.	नगर निगम, मुंगेर	91.37%	83.28%	85.99%	
11.	नगर परिषद, जमालपुर	95.70%	96.38%	96%	
12.	नगर पंचायत, खड़गपुर	99.35%	98.93%	99.20%	

सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि कूपन वितरण का अंतिम प्रतिवेदन अविलंब भेजना सुनिश्चित करें ताकि विभाग को प्रतिवेदन भेजा जा सके। अंतिम प्रतिवेदन प्रखंडवार/पंचायतवार तथा शहरी क्षेत्रों के वार्डवार भेजने का निदेश दिया गया। साथ ही यह प्रमाण पत्र देने का निदेश दिया गया कि अवितरित कूपन मुखिया/वार्ड पार्षद या किसी अन्य जन प्रतिनिधि अथवा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास नहीं है, तथा अवितरित कूपन एवं वितरण पंजी वापस कार्यालय में जमा कर लिया गया है।

(2) कूपन की स्कैनिंग :– कूपन स्कैनिंग समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रायः प्रखंडों में अभी तक माह फरवरी–11 तक का ही कूपन का स्कैनिंग हुआ है। प्रखंड स्तर पर वसुधा केन्द्र के कार्यरत VLEs (Village Level Entreprenuer) ने बताया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा समय से कूपन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिस पर खेद प्रकट किया गया। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे पहले जुलाई–11 का कूपन फिर अगस्त–11 का कूपन VLEs को उपलब्ध करा दें ताकि बैक लॉग नहीं रहे। तत्पश्चात पूर्व माह का कूपन उपलब्ध कराकर स्कैनिंग कराने का निदेश दिया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खड़गपुर द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत खड़गपुर का कूपन स्कैनिंग हेतु VLE का सेन्टर गंगटा में है, जिससे कि कूपन पहूँचाने में दिक्कत होती है। उक्त VLE को निदेश दिया गया कि वे अपना सेन्टर खड़गपुर मुख्यालय में रखना सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है कि एक पंचायत का कूपन का किसी अन्य पंचायत में दूरूपयोग अथवा कालाबाजारी की संभावनाओं को रोकने के उद्धेश्य से कूपनों का बार कोडिंग कराया गया है, तथा भुगतान शुदा कूपन का स्कैनिंग के पश्चात् ही कूपन लिंकड आवंटन करने की व्यवस्था की गई है।

अतः सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे अपने संबंधित प्रखंड के वसुधा केन्दों पर स्थापित VLEs से सर्म्पक स्थापित कर प्रतिमाह भुगतानशुदा कूपनों का स्कैनिंग कराकर ही अगले माह के लिये खाद्यान्न/किरासन तेल का उपावंटन सुनिश्चित किया जाए। उसमें किसी प्रकार की लापरवाही अवांछनीय है, अतः इसका दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाए। इस संदर्भ में विभागीय पत्रांक 7240 दिनांक 15.12.10 एवं

पत्रांक 5876 दिनांक 30.06.11 द्वारा प्राप्त निदेश की प्रति इस कार्यालय के क्रमशः ज्ञापांक 816 दिनांक 21.12.10 एवं ज्ञापांक 583 दिनांक 12.07.11 द्वारा पूर्व में भेजी जा चुकी है।

(3) खाद्यान्न उठाव/वितरण :– जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मुंगेर द्वारा बताया गया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का उठाव किया जा रहा है। चावल एवं गेहूँ आवंटन के अनुरूप उपलब्ध है।

जिला प्रबंधक को निदेश दिया गया कि वे रोस्टर के अनुरूप जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि वे ससमय RTGS/Pay-in-Slip के माध्यम् से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा राशि जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें समय पर S.I.O. निर्गत किया जा सके।

(क) मुख्यमंत्री शताब्दी चावल उत्सव–2011 :–

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 6582 दिनांक 04.08.11 द्वारा मुख्यमंत्री शताब्दी चावल उत्सव–2011 के अन्तर्गत राज्य के सर्वेक्षित सभी बी0पी0एल0 परिवारों को एकमुश्त 20 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने हेतु आवंटन प्राप्त हुआ है। आवंटन एवं विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से भेजी जा रही है।

इस कार्यक्रम को रोस्टर के अनुसार कार्यान्वित करने हेतु मुंगेर जिला में चावल वितरण अवधि दिनांक 30.08.2011 से 05.09.2011 तक निर्धारित है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी सर्वेक्षित बी0पी0एल0 परिवारों को उक्त रोस्टर के अनुसार निर्धारित अवधि में बी0पी0एल0 दर पर एकमुश्त 20 किलोग्राम चावल का वितरण सुनिश्चित किया जाए। चावल का प्रखंडवार आवंटन अलग से भेजी जा रही है। कार्यक्रम के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर प्रशासन से एक प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त किया जाए एवं उनकी प्रतिनियुक्ति से संबंधित विस्तृत रोस्टर तैयार किया जाए तथा इसकी समेकित प्रति उपलब्ध कराई जाए। साथ ही इस रोस्टर की प्रति स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराते हुए वितरण के समय उपस्थित रहने हेतु आग्रह किया जाए।

सभी बी0पी0एल0 परिवारों को उक्त कार्यक्रम की जानकारी के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार विशेष कर जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में होर्डिंग लगा कर किया जाए। अगर इस मद में राशि की आवश्यकता हो तो अधियाचना भेजी जाए। चावल वितरण की अवधि में प्रत्येक जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से अपने दुकानों पर उक्त कार्यक्रम से संबंधित एक बैनर लगवाना सुनिश्चित किया जाए, जिसमें मुख्यमंत्री शताब्दी चावल उत्सव–2011, वितरण अवधि, चावल की मात्रा आदि का उल्लेख हो।

(4) किरासन तेल :– विभागीय निदेशानुसार थोक किरासन तेल विक्रेताओं एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता/ठेला भेंडर को रोस्टर के अनुरुप किरासन तेल उठाव एवं वितरण का निदेश दिया गया।

विभागीय पत्रांक 5821 दिनांक 28.06.11 द्वारा किरासन तेल थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में नोजल सिस्टम लगाने का निदेश दिया गया है। उक्त विभागीय पत्र की प्रति इस कार्यालय के ज्ञापांक 568 दिनांक 07.07.11 द्वारा सभी थोक विक्रेताओं एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दी गई है। परन्तु अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले में कार्यरत सभी किरासन तेल थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों द्वारा नोजल सिस्टम के माध्यम् से ही जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं/किरासन तेल ठेला भेण्डरों को किरासन तेल की आपूर्ति हो इसे सुनिश्चित किया जाए। जिन थोक विक्रेताओं के विरूद्ध ऐसा करने में आनाकानी किये जाने की शिकायत प्राप्त हो, जॉच के क्रम में दोषी पाये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

(5) **निगरानी एवं अनुश्रवण समिति** :– निगरानी समिति के बैठक से संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। विभागीय निदेशानुसार प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह के शुक्रवार को प्रत्येक पंचायत / वार्ड में निगरानी समिति की बैठक की जानी है।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे विभागीय निदेश के आलोक में प्रत्येक पंचायत / वार्ड में निगरानी समिति का बैठक कराना सुनिश्चित करे। तथा बैठक की सूचना एवं कार्यवाही की प्रति भेजना सुनिश्चित करे।

साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि निगरानी समिति के सभी सदस्यों का मोबाईल नम्बर तथा प्रत्येक जन वितरण प्रणाली विक्रेता से सम्बद्ध 10–10 उपभोक्ताओं का फोन नं0 / मोबाईल नम्बर दस दिन के अन्दर भेजना सुनिश्चित किया जाए।

(8) **अन्यान्य** :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक को निदेश दिया गया कि जनता के दरवार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम एवं विभाग तथा जिला जनता दरबार से प्राप्त परिवाद पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कर जॉच प्रतिवेदन अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

जिला पदाधिकारी,
ह0/- मुंगेर।

ज्ञापांक 717 / जि0आ0, दिनांक 23.08.2011

प्रतिलिपि : सभी अनुमंडल पदाधिकारी / जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मुंगेर / डीपो प्रभारी, भारतीय खाद्य निगम, मुंगेर / सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक / सभी थोक किरासन तेल विक्रेता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
ह0/- **मुंगेर।**

ज्ञापांक 717 / जि0आ0, दिनांक 23.08.2011

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20/08/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।
ह0/-